प्रेस विज्ञप्ति*   *दिनॉक 07.07.2024*   *जनपद – संतकबीरनगर

थाना बखिरा पुलिस द्वारा कार्यवाही करते हुए गोवध निवारण अधिनियम में वांछित अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार

पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर ***श्री सत्यजीत गुप्ता*** के निर्देशन में जनपद में अपराध व अपराधियों की रोकथाम के दृष्टिगत वांछित अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे सघन अभियान के तहत बखिरा थानाध्यक्ष ***श्री श्याम मोहन*** के नेतृत्व में गठित टीम द्वारा थाना बखिरा पर पंजीकृत मु0अ0सं0 67/2024 धारा 3/5ए/8 गोवध निवारण अधिनियम, 11 पशु क्रूरता निवारण अधिनियम व धारा 429 भा0द0वि0 में वांछित अभियुक्त नाम पता समीर अहमद पुत्र मनीर उर्फ मुनीर अहमद निवासी भुलिया अगरवा थाना तरयासुजान जनपद कुशीनगर को खलीलाबाद बाईपास के पास से गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरणः-

समीर अहमद पुत्र मनीर उर्फ मुनीर अहमद निवासी भुलिया अगरवा थाना तरयासुजान जनपद कुशीनगर।

पंजीकृत अभियोग-

मु0अ0सं0 67/2024 धारा 3/5 ए/8 गोवध निवारण अधिनियम, 11 पशु क्रूरता निवारण अधिनियम व धारा 429 भा0द0वि0।

गिरफ्तार करने वाले पुलिस बल का विवरण- उ0नि0 अमित कुमार, हे0का0 अभयनन्दन, हे0का0 सर्वजीत ।

शान्ति भंग (170/126/135 बीएनएसएस) मे 08 अभियुक्त गिरफ्तार

- *थाना कोतवाली खलीलाबाद पुलिस द्वारा* 170 / 126 / 135 बीएनएसएस में 02 अभियुक्त गिरफ्तार किया गया।
- *थाना दुधारा पुलिस द्वारा* 170 / 126 / 135 बीएनएसएस में 03 अभियुक्त गिरफ्तार किया गया।
- *थाना बखिरा पुलिस द्वारा* 170 / 126 / 135 बीएनएसएस में 03 अभियुक्त गिरफ्तार किया गया।

पीआरवी आफ द डे

पीआरवी 1483 द्वारा मारपीट/विवाद में घायल 04 व्यक्तियों को भेजवाया गया अस्पताल– पीआरवी 1483 को थाना दुधारा क्षेत्रांतर्गत गजौली से कालर ने इवेन्ट संख्या 43235 से किसी बात को लेकर दो पक्षों में मारपीट / विवाद होने से 04 व्यक्तियों (1- मो0 नवी पुत्र सुभानअल्लाह, 2- फरीदा खातून पत्नी मुस्तकीम, 3- हुमायरा खातून पत्नी मुख्तार, 4- जमीला खातून पत्नी हबीबुल्ला निवासी गजौली थाना दुधारा जनपद संतकबीरनगर) के घायल होने के सम्बन्ध में सूचना दिया, सूचना मिलते ही पीआरवी कर्मियों द्वारा घटना स्थल पर समय से पहुँचकर विवाद को शान्त कराकर मारपीट में घायल हुए लोगो को एम्बुलेंस 108 की सहायता से इलाज हेतु सीएचसी सेमरियांवा भेजवाया गया तथा घटना के सम्बन्ध में थाना दुधारा को अवगत कराया गया। पीआरवी कर्मियों की सतर्कता एवं सुझबूझ से घटना स्थल पर समय से पहुँचकर मारपीट में घायल हुए लोगो को इलाज हेतु अस्पताल भेजवाकर उनकी जान बचाई गयी, जिसकी स्थानीय व्यक्तियों द्वारा सराहना की गई।

***पीआरवी स्टाफ-* मु0आ0 सौरभ कुमार सिंह, आ0 गौरव सिंह, हो0चा0 सच्चिदानन्द मिश्रा।**

मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत 111 वाहनों से 1,48,500रु0 सम्मन शुल्क वसूल किया गया

आज दिनांक 07.07.2024 को जनपद संतकबीरनगर के सभी थाना क्षेत्रो मे बैंक / वाहन / संदिग्ध व्यक्तियो की चेकिंग के दौरान समस्त प्रभारी निरीक्षक / थानाध्यक्ष / प्रभारी यातायात द्वारा मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत कड़ी कार्यवाही करते हुए 111 वाहनों से 1,48,500 रु0 सम्मन शुल्क वसूल किया गया।

प्रेस नोट   दिनांक 07.07.2024   जनपद- सन्तकबीरनगर